



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद Guru Jambheshwar University, Moradabad

(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

पत्रांक: गु० ज० वि० वि०/आई०सी०सी०/2025/3009

दिनांक: 27.11.2025

अति आवश्यक-शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
(राजकीय, अनुदानित, स्ववित्तपोषित)
गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।

विषय-महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि०-2013 के अनुपालनार्थ मा० उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित M.A.NO. 1688/2023 Civil Appeal NO-2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक: डिग्री विकास/2289/2025-26 दिनांक 26.11.2025 व डिग्री विकास/2218/2025-26 दिनांक 18.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ संलग्न निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1090-91/निदे०म०क०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक 20 अगस्त, 2025 के क्रम में संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अद्यतन अप्राप्त है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 19.11.2025 द्वारा मॉगी गयी सूचना विश्वविद्यालय की ई-मेल आई०डी० iccgjum@gmail.com पर दिनांक 28.11.2025 प्रातः 10.00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे समस्त महाविद्यालयों की सूचनाओं को संकलित करते हुए शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

भवदीय

(गिरीश कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष आई.सी.सी. समिति विश्वविद्यालय।
2. नोडल अधिकारी (मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, अमरोहा, विजनौर)।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
4. निजी सचिव, कुलपति।
5. वैय० सहायक, कुलसचिव।
6. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

30
26/11/25

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

- 1-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2-कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3-सचिव,
शिक्षा सेवा चयन आयोग,
प्रयागराज।

पत्रांक:- डिग्री विकास/2289/2025-26

दिनांक 26.11/2025

विषय:- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधि०-2013 के अनुपालनार्थ मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No.1688/2023 Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक : डिग्री विकास/2218/2025-26 दिनांक : 18.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1090-91/निदे०म०क०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक 20 अगस्त, 2025 के क्रम में संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अद्यतन अप्राप्त है।

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश का अनुस्मारक पत्र संख्या-1817-19/निदे०म०क०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक 13 नवम्बर, 2025 भी इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में आपसे पुनः अनुरोध है कि इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक : 18.11.2025 द्वारा मांगी गयी सूचना ई-मेल आईडी-0-dhedegreevikas@gmail.com पर 02 कार्यदिवसों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डॉ०(शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र० प्रयागराज।

पृष्ठांकन-डिग्री विकास/2289-92/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि: 1- विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2-निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

3-अपर सचिव राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त कर समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डॉ०(शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र० प्रयागराज।

तकालीन,
आपके लिए,
श्री न. लाल शर्मा

26/11/25

Information to be Furnished

Information to be Furnished																																																																	
1	As per the Survey Conducted by the District Officers, there are a total ----- public and private establishments having 10 or more than 10 employees are functioning in the State of Uttar Pradesh ----- public and ----- private establishments]																																																																
2	Total ----- internal complaint committees have been constituted out of which ----- are in public and ----- are in private establishments.																																																																
3	There are a total ----- establishments that remain to constitute Internal Complaint Committees.																																																																
4	District Officer, ----- has imposed penalty of Rs. ----- on ----- as per section 26 of POSH Act.																																																																
Information furnished through District Survey:-																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">S.No.</th><th rowspan="2">District</th><th colspan="3">No. of Institutions with >10 employees</th><th colspan="3">No. of ICCs Constituted</th><th colspan="3">No. of ICC not constituted</th></tr><tr><th>Govt.</th><th>Private</th><th>Total</th><th>Govt.</th><th>Private</th><th>Total</th><th>Govt.</th><th>Private</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		S.No.	District	No. of Institutions with >10 employees			No. of ICCs Constituted			No. of ICC not constituted			Govt.	Private	Total	Govt.	Private	Total	Govt.	Private	Total	1											2											3											4										
S.No.	District			No. of Institutions with >10 employees			No. of ICCs Constituted			No. of ICC not constituted																																																							
		Govt.	Private	Total	Govt.	Private	Total	Govt.	Private	Total																																																							
1																																																																	
2																																																																	
3																																																																	
4																																																																	
5																																																																	

671/

श्री प्रार्थना
मा० उच्चतम न्यायालय प्रकरण
अनुपारक - 11

ECONOMICS

प्रेषक

निदेशक
महिला कल्याण
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

11-13

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नि संख्या-

1817-19

/ निदेशमा०क०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2025-26

लखनऊ दिनांक 19 नवम्बर, 2025

विषय- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिकार) अधि०-2013 के अनुपालनार्थ मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No. 1688/2023 Civil Appeal No. 2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa & Others में निर्गत आदेश दिनांक 12.08.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-589-93/निदेशमा०क०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक- 26 जून, 2025 एवं पत्र संख्या-1090-91, दिनांक 29.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उक्त सिविल अपील संख्या-2482/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिकार) अधि० 2013 की धारा-4 के अनुरूप समस्त कार्यस्थलों पर नियमानुसार "आन्तरिक परिवाद समिति" (Internal Complaint Committee) के गठन का सर्वे किये जाने हेतु महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपनाये गये प्रारूप को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध किया गया था कि मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अपने विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, परिषदों एवं आयोगों का सर्वे कराते हुए सर्वे रिपोर्ट दिनांक 25.07.2025 तक निदेशालय की ईमेल आईडी- anudaangrant@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें परन्तु सर्वे रिपोर्ट आपके स्तर से अभी भी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2025 को पारित आदेश में पुनः निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यालयों में नियमानुसार आन्तरिक समिति का गठन कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 08.01.2026 नियत है।

अतः महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपनाये गये प्रारूप को इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अपने विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, परिषदों एवं आयोगों में आन्तरिक परिवाद समिति के गठन का सर्वे कराते हुए सर्वे रिपोर्ट यथाशीघ्र निदेशालय की ईमेल आईडी- anudaangrant@gmail.com पर दिनांक 30 नवम्बर, 2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथावत

भवदीया

(संदीप कौर)
निदेशक।

ई-मेल

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

- 1-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2-कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3-सचिव,
शिक्षा सेवा चयन आयोग,
प्रयागराज।

पत्रांक:-डिग्री विकास/2218/2025-26

दिनांक 18/11/2025

विषय:-महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि०-2013 के अनुपालनार्थ मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No.1688/2023 Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1090-91/निदे०म०क०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक 20 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि०-2013 के अनुपालनार्थ मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No.1688/2023 Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक है।

उक्त के क्रम में आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना इस कार्यालय की ई-मेल आईडी-dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ०(शशि कपूर) 18/11/25
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र० प्रयागराज।

पृष्ठांकन-डिग्री विकास/2218-20 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि: 1- विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2-निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

3-अपर सचिव राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त कर समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डॉ०(शशि कपूर) 18/11/25
संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र० प्रयागराज।

01C

शीर्ष प्राथमिकता

मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण

अनुस्मारक-1

स्वीडपोस्ट

272 प्रेषक,

निदेशक
महिला कल्याण
उत्तर प्रदेश।

सेवा में
01-9-25 निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-

1090-91

/निदे0म0क0/अनु0/सिविल अपील-2482/2014/2024-25

लखनऊ:दिनांक: 20 अगस्त, 2025

वि. नि. विषय:-

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0-2013 के अनुपालनार्थ मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित M.A. No. 1688/2023 Civil Appeal No. 2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa & Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-589-93/निदे0म0क0/अनु0/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक- 26 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उक्त सिविल अपील संख्या-2482/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि0 2013 की धारा-4 के अनुरूप समस्त कार्यस्थलों पर नियमानुसार "आन्तरिक परिवाद समिति" (Internal Complaint Committee) के गठन का सर्वे किये जाने हेतु महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपनाये गये प्रारूप को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध किया गया था कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अपने विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, परिषदों एवं आयोगों का सर्वे कराते हुए सर्वे रिपोर्ट दिनांक 25.07.2025 तक निदेशालय की ईमेल आईडी0-anudaangrant@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें परन्तु सर्वे रिपोर्ट आपके स्तर से अपेक्षित है।

अतः महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपनाये गये प्रारूप को इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अपने विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, परिषदों एवं आयोगों का सर्वे कराते हुए सर्वे रिपोर्ट निदेशालय की ईमेल आईडी0-anudaangrant@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

प्रि. का. 5
4/9/25

श्री विदे-5
4/9/25

भवदीया

(संदीप कौर)

निदेशक।

सं0 एवं तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18

(संदीप कौर)

निदेशक।



गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
Guru Jambheshwar University, Moradabad
(A State University of Government of Uttar Pradesh)
Contact: 05912976525, Email: gjumoffice@gmail.com

दिनांक: 19.11.2025

पत्रांक: गु० जा० वि० वि०/आई०सी०सी०/2025/2261

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।

विषय-महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि०-2013 के अनुपालनार्थ मा० उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित M.A.NO. 1688/2023 Civil Appeal NO-2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक: डिग्री विकास/2218/2025-26 दिनांक 18.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ संलग्न निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1090-91/निदेशक०/अनु०/सिविल अपील-2482/2014/2024-25 दिनांक 20 अगस्त, 2025 (छायाप्रति संलग्न) जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधि०-2013 के अनुपालनार्थ मा० उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित M.A.NO. 1688/2023 Civil Appeal NO-2482/2014 Aureliano Fernandes Vs. State of Goa and Others में निर्गत आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन विषयक है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना विश्वविद्यालय की ई-मेल आई०डी० iccgjum@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे समस्त महाविद्यालयों की सूचना संकलित करते हुए शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

भवदीय

(गिरीश कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष आई.सी.सी. समिति विश्वविद्यालय।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
3. निजी सचिव, कुलपति।
4. वैय० सहायक, कुलसचिव।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव